International Journal of Education and Science Research Review
P-ISSN 2349-1817, E- ISSN 2348-6457
www.ijesrr.org August- 2017, Volume-4, Issue-4 Email- editor@ijesrr.org

# सरदार वल्लभभाई पटेल का देश की एकता और अखण्डता में योगदान

**श्रीमती आशा रानी, असिसटेंट प्रोफेसर,**
आर.के.एस.डी.कॉलेज, कैथल।
इतिहास संकलन समिति
विद्युत परिषद् प्रमुख, कैथल

1. क्रान्तिधर्मी तथा भारत के वीर सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल से कौन परिचित नहीं है। अपने अल्पकाल के जीवन में ही उन्होंने भारत की गौरव–पताका विश्व में फहरा दी। उनका अपना व्यक्तिगत जीवन स्वयं इतिहास की एक धरोहर है कि उसका अनुकरण कर हर मनुष्य अपना जीवन धन्य कर सकता है।

31 अक्टूबर, 1875 को बोरसद तालुके के करमसद नामक गांव में एक किसान के घर में जन्मे सरदार वल्लभ भाई पटेल वास्तव में एक लौहपुरुष और भारत को एकता के सूत्र में बाँधने वाले महान् देशभक्त एवं क्रान्तिधर्मी थे। सरदार पटेल स्पष्टवादी, संयमी, वीर एवं दृढ़निश्चयी व्यक्ति थे। सरदार पटेल में बिस्मार्क– जैसे संगठन–शक्ति एवं चाणक्य–जैसी राजनीतिक पटुता थी। यह समस्याओं को व्यावहारिक दृष्टि से निबटाते थे। भारत की आजादी के बाद भी अंग्रेजों ने भारत में फूट डालने की कोशिश की, लेकिन यह सरदार पटेल ही थे, जिन्होंने देश को एकता के सूत्र में बांधे रखा। अंग्रेज छोटी–छोटी रियासतों को यह अधिकार दे गये कि वे अपनी इच्छानुसार भारत या पाकिस्तान में मिलने को स्वतन्त्र हैं, साथ ही यदि वे चाहें, तो अपने अस्तित्व को भी स्वतन्त्र रख सकती हैं।

ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रीय नेताओं को कुछ भी नहीं सूझ रहा था, उस समय लौहपुरुष सरदार पटेल ने रियासतों को भारतीय गणराज्य में मिलाने का महत्वपूर्ण काम किया, जो एक मिसाल बन गया।

आज सरदार पटेल हमारे बीच नहीं हैं, परन्तु महामानव कभी नहीं मरते, वे अपने कर्मों से सदैव लोगों के दिलों में जीवित रहते हैं। बारडोली के सरदार, गुजरात केसरी, स्वाधीनता आन्दोलन के नेता, किसान नेता, भारतीय एकता के रक्षक एवं लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल पर भारत माता को सदैव गर्व रहेगा।

## (सरदार वल्लभभाई पटेल 'परिचय')

2. 15 अगस्त, 1947 को हमारा भारत गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो गया था, अर्थात् स्वाधीन हो गया था, परन्तु हमारे भारत को इस स्वाधीनता की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। उस समय एक ओर तो देश विभाजन और हिन्दू–मुस्लिम वैमनस्य की आग में झुलस रहा था और दूसरी ओर छोटी–छोटी रियासतों के राजा अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को बनाये रखने के लिए देश के नेताओं की एक बात सुनने को तैयार न थे। इसका कारण था कि अंग्रेज जाते–जाते भी देश में एक चिंगारी छोड़ गये थे, अर्थात् अंग्रेज इन रियासतों को यह अधिकार दे गये थे कि वे अपनी इच्छानुसार भारत या पाकिस्तान मिलने को स्वतन्त्र हैं। साथ ही यदि वे चाहें, तो अपने अस्तित्व को भी स्वतन्त्र रख सकती हैं।

ऐसी स्थिति में जब राष्ट्रीय नेताओं को कुछ भी नहीं सूझ रहा था, उस समय लौहपुरुष सरदार पटेल ने रियासतों को भारतीय गणराज्य में मिलाने का महत्वपूर्ण काम किया, जो एक किसाल बन गया। ऐसे लौहपुरुष सरदार पटेल को अदम्य साहस और दूरदर्शिता की प्रतिमूर्ति तथा आधुनिक भारतीय राष्ट्र के निर्माता कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

3. सन् 1946 में, 17 अगस्त को पण्डित जवाहरलाल नेहरू वायसराय से मिले। अन्तरिम सरकार ने 24 अगस्त को पण्डित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शपथ ग्रहण की। उस दिन वायसराय ने मुस्लिम लीग को अन्तिरिम सरकार में हिस्सा लेने का आमन्त्रण दिया। जब मुस्लिम नेता श्री जिन्ना ने यह देखा कि अन्तरिम सरकार में मुस्लिम लीग के शामिल न होने से कांग्रेस का एकाधिकार बढ़ जायेगा, तो उन्होंने अक्टूबर महीने में अन्तरिम सरकार में हिस्सा लेने का निश्चय किया।

अन्तरिम सरकार में शामिल होने के पश्चात् भी मुस्लिम लीग यदाकदा सरकार के कामों में अवरुद्ध उत्पन्न करती रही। पहले तो उसने इस बात के लिए दबाव डाला कि गृह विभाग मुस्लिम लीग को सौंपा जाये। लेकिन सरदार पटेल ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए यह धमकी दी कि यदि ऐसा किया गया, तो कांग्रेस सरकार से त्याग–पत्र दे देगी। इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए वित्त विभाग मुस्लिम लीग को दे दिया गया।

4. 1947 के शुरुआती दिनों में प्रधानमन्त्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा कर दी कि अंग्रेज जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। इस काम को पूरा करने के लिए नये वाइसराय लार्ड माउण्टबेटन को भारत भेजा गया।

इस समय सरदार पटेल का हृदय बहुत भरा हुआ था। देश के लोगों को समझाते हुए उन्होंने भरे गले से कहा– "मैं जीवन–भर भारत की एकता के लिए प्रयत्नशील रहा हूँ। आप सबको इस प्रस्ताव से जो दुःख हुआ है, उससे कम मुझे नहीं हुआ है, परन्तु विश्वास कीजिए कि इसके अलावा कोई अन्य चारा नहीं रहा था। इसीलिए मैंने आगे बढ़कर कहा– ब्रिटिश सल्तनत हिन्दुस्तान का विनाश करने पर उतारू है, यदि यह सब उसी तरह चलता रहा, जैसा कि चल रहा है, तो मुझे निश्चित भय है कि समूचा भारत पाकिस्तान बन जायेगा। इसलिए यदि सारे भारत को पाकिस्तान बनने से बचाना हो, तो इस प्रस्ताव को स्वीकार करके, विभाजन का खतरा उठाकर भी अंग्रेज सरकार को भारत से हटाने में ही हमारी बुद्धिमानी होगी। इसी में देश का सुख निहित है। भविष्य की बहुत बड़ी बुराइयों को रोकने के लिए इस बुराई को स्वीकार करके अंग्रेजों को इस पाप को भारत से हमें विदा करना चाहिए। इस दृष्टि से मैं दुःख और वेदना से रुदन करने वाले अपने मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वे इस कड़वे घूंट को पी जायें।"

5. सन् 1947 की 15 अगस्त को भारत ओर पाकिस्तान दोनों देशों को दो उपनिवेशों का स्तर प्रदान किया गया। देशी रियासतों को स्वतन्त्रता दी गयी कि वह भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जायें और अपने को स्वतन्त्र राज्य समझें।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री बनने के बाद लालकिले की प्राचीर से 15 अगस्त सन् 1947 को तिरंगा झण्डा फहराया। उस दिन पूरे देश ने एक लम्बी अवधि के पश्चात् स्वतन्त्रता प्राप्ति का आनन्द उठाया। इस अवसर पर देश के कोने–कोने में उत्सव मनाये गये। 24 अगस्त 1947 को सरदार पटेल को भारत का उप–प्रधानमन्त्री बनाया गया।

6. भारत के इतिहास में सरदार पटेल को एक विशेष कार्य के लिए सदैव याद किया जायेगा। यह कार्य था– देशी रियासतों का एकीकरण।

जिस समय देश आजाद हुआ, उस समय भारत में 562 देशी रियासतें थीं। भारत छोड़कर जाते समय अंग्रेजों ने देशी रियासतों को यह स्वतन्त्रता दे दी कि वे चाहें, तो आजाद रह सकते हैं अथवा भारत–पाकिस्तान किसी भी देश में अपना विलय कर सकते हैं। निश्चय ही अंग्रेजों की यह नीति थी कि ये रियासतें देश की स्वतन्त्रता में नासूर का काम करेंगी और भारत को मजबूत न रहने देंगी। अंग्रेजों की इस नीति से दुखी होकर महात्मा गांधी ने कहा था– ''अंग्रेज भारत को भाग्य और भगवान् के सहारे ही छोड़ जायें। यदि वे नास्तिक हैं, तो मैं कहूंगा कि वे भारत को अराजकता की स्थिति में ही छोड़ जायें।''

सरदार पटेल ने अपनी विलक्षण बुद्धि से इस भावी खतरे का अनुमान पहले ही लगा लिया। यदि उस समय सरदार पटेल न होते, तो भारत निश्चित रूप से आज अपने वर्तमान रूप में मौजूद न होता।

यहां यह बताना आवश्यक है कि 12 मई 1947 को जब भारत की आजादी की घोषणा की गयी, तो अधिकतर देशी रियासतों ने उसका अर्थ यह लगाया कि अब वे सम्प्रभुता सम्पन्न राज्य हो जायेंगे।

जहां सरदार पटेल और पं0 नेहरू देशी राज्यों की अलग रहने की नीति का विरोध कर रहे थे, वहीं जिन्ना अलगाव की नीति का समर्थन कर रहे थे। इस मुद्दे पर भारी वाद–विवाद हुआ। परन्तु जब कोई हल नहीं निकला, तो देशी राज्यों से सम्पर्क रखने के लिए भारत सरकार एक अलग विभाग की स्थापना की गयी। इस विभाग का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया।

इसी दिन सरदार पटेल ने रियासितों के प्रति सरकारी नीति का खुलासा करते हुए अपने सन्देश में कहा था–

7. ''हमारी खण्डित अवस्था और एक होकर मुकाबला न करने की हमारी अयोग्यता का ही परिणाम था कि भारत को आक्रमणकारियों का शिकार होना पड़ा। भौगोलिक समीपता, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनैतिक अटूट सम्बन्धों के कारण देशी रियासतों का दायित्व है कि अवशिष्ट भारत के साथ परस्पर मैत्री व सहयोग का वातावरण बनाये रखें। यह देश अपनी परम्पराओं के साथ उन लोगों की गौरवपूर्ण विरासत है, जो इस देश में रहते हैं। यह संयोग की बात है कि इनमें से कुछ ब्रिटिश भारत में रहते हैं और कुछ रियासतों में, परन्तु उच्च परम्पराओं और संस्कृति में सब बराबर के सांझीदार हैं। हम सभी रक्त, भावनाओं और हितों की समानता से बंधे हैं। हमें कोई भी खण्डों में विभाजित नहीं कर सकता। ऐसी रुकावटें, जो पार नहीं की जा सकें, हमारे बीच खड़ी नहीं की जा सकतीं। इसलिए मेरा सुझाव है कि यह अच्छा हो कि हम आपस में बैठकर मित्रों की तरह नियम निर्धारित कर लें, अपेक्षाकृत इसके कि हम विदेशियों की भाँति सन्धि करें। मैं अपने मित्र रियासतों के शासकों और उनकी जनता को अपनी मातृभूमि के प्रति समान निष्ठा से प्रेरित होकर सबके समान हित के लिए मैत्रीपूर्ण और सहयोग की भावना से संविधान सभा में आने के लिए आमन्त्रित करता हूँ।''

8. 11 अगस्त 1947 को दिल्ली के रामलीला मैदान सरदार पटेल ने एक भाषण में रियासतों से कहा– ''चार दिन पश्चात् विदेशी सरकार चली जायेगी, अतः रियासतें 15 अगस्त तक भारतीय संघ में सम्मलित होना ही इस समस्या का समाधान नहीं था। भारत पराधीनता के बन्धनों से मुक्त तो हुआ, किन्तु रियासतों एवं राजाओं से उत्पीड़ित जनता को अभी उनके अमानुषिक अत्याचार से मुक्त कराया जाना बाकी था। जनता भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही थी और अपनी मुक्ति के लिए बेचैन थी। इन समस्याओं का एकमात्र समाधान था कि समस्त राजा सरकार के अपने निर्वाह के लिए एक निश्चित धनराशि वार्षिक आय के रूप में लेकर अपने–अपने राज्यों की कमान केन्द्रीय सरकार के हाथ में दे दें। इस प्रस्ताव पर विचार करने के बाद यह तय किया गया कि रियासत की वार्षिक आय के आधार पर प्रथम एक लाख पर पन्द्रह प्रतिशत, अगले चार लाख की आय पर दस प्रतिशत तथा पांच लाख से अधिक की आय पर साढे सात प्रतिशत का भुगतान किया जाये। इसके लिए वर्ष 1946–46 की आय को आधार रूप में स्वीकार किया गया। इसके साथ ही कुछ बड़े राजाओं को राज–प्रमुखों के पद भी प्रदान किये गये, जिससे उनकी महत्वाकाँक्षा भी परितुष्ट हुई।

9. इसी अवसर पर राजाओं को विलय सन्धि–पत्र भी दिये गये, जिन पर उन्होंने सहर्ष हस्ताक्षर कर दिये। इसके बाद सरदार पटेल ने बड़े–बड़े राजाओं की एक बैठक बुलाई और उन्हें भी कहा– ''आपके राज्यों की आन्तरिक अशान्ति को दूर करने का भी एकमात्र उपाय यह है कि आप भी अपने–अपने राज्यों को भारत सरकार के नियन्त्रण में सौंप दें।'' फलस्वरूप, उड़ीसा के बड़े–बड़े राजाओं ने भी विलय–पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये।

तत्पश्चात् 15 दिसम्बर को सरदार पटेल नागपुर पहुंचे। वहां भी उन्होंने छत्तीसगढ़ के 38 राजाओं की एक बैठक बुलाई और उन्हें समझाया कि उनका हित इसी में है कि वे उड़ीसा की भांति अपने–अपने राज्यों की बागडोर भारत सरकार को सौंप दें। छत्तीसगढ़ के राजा इस प्रस्ताव पर सहमत हो गये और वल्लभ भाई पटेल ने उन सभी राज्यों का विलय मध्य प्रदेश में कर दिया।

10. सरदार वल्लभ भाई पटेल की इस चमत्कारिक सफलता के विषय में सुनकर महात्मा गांधी ने कहा था– ''सरदार का साहस और उनकी दूरदर्शिता गजब की है। उन्होंने जिस तरह से पलक झपकते यह काम सम्पन्न किया, वह किसी चमत्कार से कम नहीं है।''

सरदार पटेल ने अपनी दूरदर्शिता, चरित्र–बल और अपने अनुभव के आधार पर छोटी बड़ी सभी रियासतों के भारत सरकार में विलय के प्रश्न को हल किया। उन्होंने इन रियासतों का समाधान तीन आधारों पर किया –

1. कुछ को उनके निकटवर्ती राज्यों में मिला दिया।
2. कुछ को भारत सरकार के सीधे नियन्त्रण में ले लिया।
3. कुछ को परस्पर मिलाकर एक नये संघ का रूप दे दिया।

इस प्रकार सरदार पटेल ने भारत को एकता के सूत्र में बांधने के अपने सपने को साकार किया। सरदार पटेल ने जूनागढ़ और उसके बाद हैदराबाद की समस्या को जिस प्रकार से सुलझाया, उससे उनके चरित्र–बल की झलक मिलती है।

11. सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद की थी। वहां का निजाम भारत या पाकिस्तान किसी भी देश की आधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता था। वह एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में अपना अस्तित्व कायम रखना चाहता था। इसलिए उसने 15 अगस्त को स्वयं भी सम्प्रभुता की घोषणा करनी चाही, परन्तु

ब्रिटिश सरकार ने इस स्थिति को अस्वीकार कर दिया। निजाम ने षड्यन्त्र रचने शुरू कर दिये। उसने स्वतन्त्रता समारोह में भाग लेने वाली निर्दोष जनता पर बहुत अत्याचार किये।

हैदराबाद के निजाम ने भारत से पूछे बिना पाकिस्तान को 20 करोड़ का ऋण दे दिया और भारत को धमकी दी कि यदि भारतीय संघ हैदराबाद में हस्तक्षेप करेगा, तो उसे वहां हिन्दुओं की हड्डियों और राख के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा।

यह मामला ब्रिटेन की कॉमन सभा में भी उठाया गया। ब्रिटेन में विरोधी दल के नेता चर्चिल ने हैदराबाद के निर्णय का समर्थन किया और साथ ही भारत की कड़ी आलोचना भी की। इस पर सरदार पटेल कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने चर्चिल को आड़े हाथों लेते हुए कहा– ''चर्चिल एक निर्लज्ज साम्राज्यवादी है और इस समय जब साम्राज्यवाद अपनी अन्तिम सांसें ले रहा है, उसकी हठधर्मीपूर्ण बुद्धिहीनता तर्क, कल्पना और विवेक की सीमा को पार कर रही है। इतिहास साक्षी है कि चर्चिल के अड़ंगा नीति के कारण भारत तथा ब्रिटेन की मैत्री के सभी प्रयास विफल हुए।''

12. जवाहरलाल नेहरू ऐसी उग्र कार्रवाई के पक्ष में नहीं थे। के0एम0 मुंशी ने सरदार पटेल के हैदराबाद के प्रति रुख की सराहना करते हुए लिखा है– ''यदि जवाहरलाल नेहरू की इच्छा के अनुसार कार्य होता, तो हैदराबाद एक अलग राज्य के रूप में भारत के पेट पर एक दूसरा पाकिस्तान होता।''

27 अक्टूबर 1947 की सुबह सैंकड़ों भारतीय सैनिक कश्मीर पहुंचे। उन्होंने कबाइलियों को पीछे भागने पर विवश कर दिया। शीघ्र ही कश्मीर की स्थिति पर नियन्त्रण पा लिया गया। शेख अब्दुल्ला की प्रजा के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमन्त्री पद सौंपा गया।

सरदार पटेल को नेहरूजी की सोच बिल्कुल पसन्द नहीं आयी। परन्तु नेहरू जी नहीं माने और कश्मीर को विशेष राज्य के रूप में उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। वे संयुक्त राष्ट्र संघ चले गये और उस रियासत के मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्याय हेतु लटका आये, जिसका अधिकार महाराजा हरिसिंह साफतौर पर हिन्दुस्तान को सौंप चुके थे।

13. सरदार पटेल ने बहुत दुःख के साथ कहा था– ''यदि जवाहरलाल और गोपाल स्वामी आयंगर ने कश्मीर को अपना व्यक्तिगत विषय बनाकर मेरे गृह तथा रियासत विभाग से अलग न किया होता, तो कश्मीर की समस्या उसी प्रकार हल होती, जैसे कि हैदराबाद की।

आज भी कश्मीर का मामला अनिर्णीत ही राष्ट्रसंघ की कार्य सूची में मौजूद है। आज भी पाकिस्तान कश्मीर को अपने में मिलाने के लिए तरह–तरह के हथकण्डे अपना रहा है।

## निष्कर्ष

14. इस प्रकार एक एक करके सभी रियासतें भारत संघ में शामिल हो गयीं और सरदार पटेल का भारत को एकता के सूत्र में बांधने का सपना साकार हो गया। उन्होंने खण्डित भारत को जिस प्रकार संगठित किया, वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। सरदार पटेल को यदि आधुनिक भारत का जन्मदाता कहा जाये, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

यदि सरदार पटेल भारत को एकता के सूत्र में न बांधते, तो सोचिये कि स्वाधीनता के तुरन्त बाद के भारत की स्थिति क्या होती? भारत छोटी–छोटी रियासतों में बंटा हुआ था। ऐसे भारत को एक राष्ट्र का रूप
देना सचमुच चुनौतीपूर्ण कार्य था, परन्तु सरदार पटेल ने न केवल इस चुनौती को स्वीकार किया, बल्कि इसमें अभूतपूर्व सफलता भी प्राप्त की और देश की जनता और अखण्डता में महत्वपूर्ण योगदान दिया

## संदर्भ

1. सरदार वल्लभभाई पटेल पृष्ठ न. 1 परिवार और परिचय
2. रदार वल्लभभाई पटेल पृष्ठ न. 74
3. सरदार वल्लभभाई पटेल पृष्ठ न. 76
4. सरदार वल्लभभाई पटेल, पृष्ठ न. 78
5. सरदार वल्लभभाई पटेल, पृष्ठ न. 79
6. सरदार वल्लभभाई पटेल, पृष्ठ न. 80
7. सरदार वल्लभभाई पटेल, पृष्ठ न. 80
8. सरदार वल्लभभाई पटेल, पृष्ठ न. 81
9. सरदार वल्लभभाई पटेल, पृष्ठ न. 82
10. सरदार वल्लभभाई पटेल, पृष्ठ न. 82
11. सरदार वल्लभभाई पटेल, पृष्ठ न. 84
12. सरदार वल्लभभाई पटेल, पृष्ठ न. 85
13. भारत विभाजन, पृष्ठन. 157
14. भारत विभाजन, पृष्ठन. 254
15. चोपड़ा, डॉ. प्रभा (2014), भारत विभाजन, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली।
16. लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल, साहनी पब्लिकेशन्स, न्यू साधना पॉकेट बुक्स, 70, रोशनआरा प्लाजा, दिल्ली–110007.